II जीवन बीमा निगम और डाक जीवन बीमा में बीमा की गई रकम पर सालाना प्रति हजार बोनस की जो दरें घोषित की है उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

	मूल्यांकन अवधि	पूर्ण जीवन बीमा	एंडावमेंट बीमा
जीवन बीमा निगम	1-4-1969 से 31-3-1971 और 1-4-1971 से 31-3-1973 तक	22 00 रु०	17.60 रु०
डाक जीवन बीमा	1-4-1969 से 31-3-1972 तक	32 00 रु०	24.00 रु०

टिप्पणी —जीवन बीमा निगम मे मूल्यांकन हर दो साल मे किया जाता है और डाक-जीवन बीमा मे यह मूल्यांकन हर तीन साल मे किया जाता है।

(ग) डाक जीवन बीमा का कार्यक्षेत्र आम जनता तक बढाने के प्रस्ताव की समय-समय पर जांच की गई है किन्तु यह प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

(घ) डाक जीवन बीमा के अन्तर्गत बीमा शुदा व्यक्तियों की 31 मार्च, 1974 तक कुल संख्या 3,12,067 थी। 31 अगस्त, 1974 तक के आकड़े उपलब्ध नही है क्योंकि डाकघर बीमा निधि का पुनरीक्षण हर साल 31 मार्च तक किया जाता है।

(ङ) सरकारी सहायता पाने वाले संगठनों के कर्मचारियों और डाक जीवन बीमा के लाभ पाने के पात्र कर्मचारियों का उल्लेख डाकघर बीमा निधि नियमावली के नियम 2 मे कर दिया गया है। यह नियमावली प्रकाशित हो चुकी है। डाक जीवन बीमा योजना का लाभ दूसरे संगठनों, जिसमें अर्द्ध सरकारी संस्थान और स्वायत्त शासी निकाय आदि भी शामिल है के कर्मचारियों को भी देने के प्रस्ताव की समय-समय पर जांच की गई किन्तु यह प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया क्योंकि डाक जीवन बीमा योजना विशेष रूप से केन्द्रीय कर्मचारियों को एक सुरक्षा-सुविधा देने के उद्देश्य से चलाई गई है।

राज्यों के लिये स्वायत्तता की मांग

1381. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्रोही नागाओं की नागालैण्ड के लिये और शेख अब्दुल्ला की काश्मीर के लिये स्वायत्तता की मांगों के प्रति सरकार की क्या नीति है,

(ख) इन दोनों मांगों में समानताएं तथा भिन्नताएं क्या-क्या है और प्रत्येक पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) भारत के अन्य भागों में इस प्रकार की मांगों को दबाने के लिये क्या निवारक कार्यवाही की गई है ; और

(घ) दोनों क्षेत्रों में की जा रही इस प्रकार की मांगों से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में शेख अब्दुल्ला के वक्तव्यों को ध्यान मे रखते हुए कि वे जम्मू व काश्मीर राज्य के भारत मे विलय की कार्यवाही के लिये अपने आप को वचनबद्ध समझते है, भारत सरकार राज्य सरकार से

विचार-विमर्श करने के बाद सहमत हुई है कि श्री जी० पार्थसारथी तथा शेख अब्दुल्ला का प्रतिनिधि श्री अफजल बेग विचारों के आदान प्रदान के लिये मिल सकते है। ये बात अभी चल रही हैं। अत : इस अवस्था में सरकार के लिये उसकी आगे की प्रतिक्रिया बताना सम्भव नहीं होगा।

जहा तक नागालैण्ड का सम्बन्ध है नागालैण्ड के कुछ भूमिगत एसोसिएशन पृथकतावादी प्रचार कर रहे है और इस प्रकार की पृथकता को आगे बढ़ाने के लिये हिंसात्मक गतिविधियों में अर्न्तगत है। उनकी पृथकतावादी गतिविधियों को देखते हुए इन भूमिगत एसोसिएशनो को 1 सितम्बर, 1974 से अवैध गतिविधि (रोक) अधिनियम, 1967 के अधीन अवैध एसोसिएशन घोषित किया गया है। इस प्रकार काश्मीर तथा नागालैण्ड में समानता नही है।

(ग) केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श से जाच की जा रही है। राष्ट्रीय एकता परिषद् भी साम्प्रदायिक सद्भाव, क्षेत्रीय तनाव तथा पिछडे वर्गों की शिकायतों के विभिन्न पहलुओं की जाच रही है। सद्भाव तथा कल्याण के वातावरण को सुनिश्चित करने के लिये क्षेत्रीय परिषद् की बैठकों तथा विचार विनिमय के आय साधनों के माध्यम से लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(घ) इन क्षेत्रों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का सामना करने तथा विधि व व्यवस्था बनाए रखने के लिये अत्यतधिक सतर्कता वर्ती जा रही है।

Complaints Re: Mis-Management of Hindustan Samachar

1382. SHRI INDRAJIT GUPTA: Will the Minister of HOME AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have received any complaints regarding the mismanagement of Hindustan Samachar, a News Agency;

(b) if so, the main particulars thereof; and

(c) the action taken in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA): (a) to (c). Yes, Sir. The complaints were forwarded to the Ministry of Labour for action.

Harassment to Harijans of Chandlodia, Ahmedabad by Caste Hindus

1383 SHRI INDRAJIT GUPTA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether about 70 Harijans of Chandlodia on the outskirts of the city of Ahmedabad met the Secretary to the Governor on the 8th October, 1974;

(b) if so, whether they informed the authorities that caste Hindus are compelling them to flee village; and

(c) if so, the action taken against the culprits?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): (a) and (b). According to the information received from the Government of Gujarat, three representatives of Harijans of the said village met the Secretary to the Governor and complained that the Caste Hindus of the village had boycotted them and that it was dangerous to go back to the village.

(c) The State Government have made police bandobast in the village and the situation is reported to be peaceful.